संख्या– **41**
12/01/2026

उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में "पूर्वी राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण विषय" पर पटना में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

पटना दिनांक 12.01.2026:– उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिनांक 13 जनवरी 2026 को पटना में हितधारकों का एक दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यशाला पूर्वाह्न 09:30 बजे से प्रारंभ होगी। उक्त कार्यशाला का आयोजन उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यशाला में उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी, बिहार सहित झारखंड, उड़ीसा आदि राज्यों के संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, राज्य उपभोक्ता आयोगों के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्य भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के प्रमुख स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन एवं उद्योग संघों के प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रहेगी। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के एकरूप प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना तथा राज्यों के बीच अनुभवों एवं सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना है। इससे उपभोक्ताओं के

अधिकारों के संरक्षण, शिकायत निवारण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा उपभोक्ता जागरूकता को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायता मिलेगी।

....